डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 01 जनवरी, 2021, डिस्पेच दिनांक 01 जनवरी, 2021

| वर्ष 64 | अंक 15 | भोपाल | 01 जनवरी, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

अटल जी ने सुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के कुल 18 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज जो पैसा दिल्ली से चलता है वह सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। इससे बड़ा सुशासन क्या होगा ? स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया और उन्ही की परिकल्पना के अनुरूप आज देश में सुशासन लागू हो रहा है। **महान देशभक्त महामना पं. मदन मोहन मालवीय एवं राष्ट्र निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूँ।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की कुल 18 हजार करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 78 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के किसानों को वर्चुअली संबोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के बाबई से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी जी की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश में सुशासन लागू किया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज रहेगा, गुंडे–बदमाशों का नहीं। सुशासन की परिभाषा बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि **सुशासन अर्थात बिना लिए–दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए।**

गहन अध्ययन कर बनाए गए कृषि कानून

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसानों की समस्याओं और उनके हितों के दृष्टिगत गहन अध्ययन कर लागू किए गए हैं। पहले छोटे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती थी। नए कानून में उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं जिनके माध्यम से वे अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं।

लागत की डेढ़ गुना एम.एस.पी.

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट अनुसार किसानों की फसल की लागत का डेढ़ गुना एम.एस.पी. निर्धारित की तथा अधिक फसलों को इसके दायरे में लाया गया।

21वीं सदी में कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कृषि से किसानों की आय में वृद्धि के लिए 21वीं सदी में कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा। ये तीनों कृषि सुधार कानून इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

शेष पृष्ठ 6 पर...

किसानों का हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - डॉ. भदौरिया

सुशासन दिवस पर कार्यक्रम में कृषकों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को देखा एवं सुना

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इससे किसान भाइयों को कृषि उपज के विक्रय के लिए विकल्पों एवं आर्थिक निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के अधिकार पूर्व की तरह रहेंगे। इसलिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा। मंत्री डॉ. भदौरिया भिंड जिले की जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत स्योड़ा ग्राम पंचायत में सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व जनसमुदाय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि नए कृषि अधिनियम किसानों को अंतरराज्यीय व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जिससे किसान अपने कृषि उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच सकेंगे। वे अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बाजार/मंडी शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन अब कृषि उपज मंडी समितियों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए और किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कृषि उपज का स्वतंत्र क्रय–विक्रय होने से खरीदार और विक्रेता (किसान) दोनों को लाभ मिलेगा।

शेष पृष्ठ 6 पर...

नववर्ष 2021
हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारी बैंकों, सोसायटियों तथा पीडीएस दुकानों में मनाया गया सुशासन दिवस

भोपाल। आयुक्त सहकारिता श्री महेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के सहकारिता विभाग अंतर्गत संभागीय व जिला कार्यालयों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के अलावा 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा 16 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर सुशासन दिवस मनाया गया। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया भिंड जिले के अटेर विकासखंड के ग्राम स्यौड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या–पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के वर्चुअल उद्बोधन को देखा व सुना गया। भोपाल जिले में फंदा विकासखंड की सहकारी समिति मुगलिया–कोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा शामिल हुए।

किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे - डॉ. भदौरिया

'सहकारिता विभाग द्वारा किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु दिशा–निर्देश जारी'

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किसान उत्पादक सहकारी संस्था (एफपीओ) के राज्य के सहकारिता अधिनियमों में पंजीयन हेतु निर्देश प्रदान कर विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक सहकारी संस्था के गठन हेतु मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप मॉडल बायलॉज का निर्माण किया गया है तथा सभी संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त व सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे मैदानी स्तर पर कृषक संगोष्ठी आयोजित कर कृषकों को किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये प्रोत्साहित करें।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तथा कृषकों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने व संगठित रूप से कृषि सेवाओं की उपलब्धता, विपणन व नई तकनीकों के अंगीकार करने में सहकारिता में गठित किसान उत्पादक संगठन अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता अन्तर्गत मॉडल बायलॉज के अनुसार किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु सहकारिता विभाग ने विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किये हैं।

सदस्यों की संख्या कम से कम 21 होगी

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ डॉ. एम. के. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के गठन के लिये मॉडल बायलॉज में सदस्य संख्या, सदस्यों की पात्रता, कार्यक्षेत्र, अंशपूंजी के साथ ही कार्य योजना व अन्य प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। मॉडल वायलॉज के अनुसार किसान उत्पादक सहकारी संस्था का पंजीयन सहकारिता अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार हो तथा सदस्यों की संख्या कम से कम 21 हो, जो भिन्न–भिन्न परिवारों के हों। यह सदस्य सहकारी संस्था की सदस्यता की पात्रता रखते हों किन्तु भारत सरकार की योजना से लाभ प्राप्ति के लिये न्यूनतम 300 सदस्य की मापदंड की पूर्ति तथा दिशा–निर्देशों का पालन करने पर ही पात्रता आयेगी।

कार्यक्षेत्र चयनित ग्रामों तक सीमित होगा

आयुक्त सहकारिता डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्था का कार्यक्षेत्र प्रारंभिक स्तर पर कुछ चयनित ग्रामों तक सीमित रखा जाए तथा एक समान संस्था के कार्यक्षेत्र में अन्य उत्पादक सहकारी संस्था का पंजीयन न किया जाए किन्तु भारत सरकार की योजना में सम्मिलित होने पर भारत सरकार के निर्देश भी लागू होंगे। किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के लिये प्रत्येक सदस्य से निर्धारित अंशपूंजी एकत्रित कर सकेंगे। अंश का न्यूनतम मूल्य 100 रूपये तथा प्रवेश शुल्क 10 रूपये होगा किन्तु अंश मूल्य में वृद्धि प्रवर्तक सदस्य आपसी सहमति से कर सकेंगे।

कार्य योजना स्पष्ट, सारगर्भित एवं सर्वे के अनुरूप हों

आयुक्त डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक किसान उत्पादक सहकारी संस्था द्वारा प्रारंभिक कार्य योजना बनवाई जायेगी, जिसके उद्देश्य मॉडल बायलॉज के अनुरूप होने चाहिए। इनसे अलग उद्देश्यों को कार्य योजना में उल्लेख न किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि भविष्य में इन संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशों के तहत विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं कार्य योजना अनुरूप कार्य करना है तो इसके लिये कार्य योजना स्पष्ट, सारगर्भित एवं सर्वे के अनुरूप बनाई जाये। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य योजना के निर्माण के लिये कृषि उद्यानिकी, पशुपालन आदि से संबंधित विभागों एवं एफपीओ विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।

प्रवर्तक सदस्यों के लिये पात्रता

आयुक्त डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं में जो भी प्रवर्तक सदस्य होंगे वह अधिनियम, उपनियम के तहत पात्रता रखते हों तथा न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि के भूमिस्वामी हों, जिसके प्रमाण स्वरूप अद्यतन खसरे की प्रति लगानी होगी। परिचय के रूप में आधार कार्ड, स्वयं का फोटोग्राफ आदि निर्धारित प्रपत्र पात्रता हेतु लिये जाएंगे। इक्विटी शेयर का लाभ प्राप्त करने के लिये कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत लघु सीमांत कृषक व महिला कृषकों को भी सदस्य बनाना होगा।

पंजीयक के दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा

किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये सहकारी अधिनियम/नियम एवं पंजीयक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के पंजीयन में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।

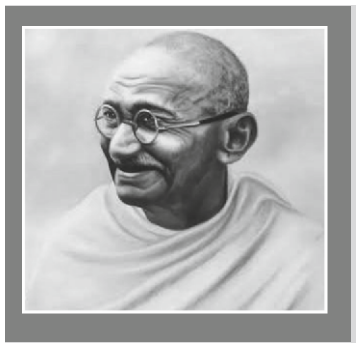

विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अँधा हो जाता है तो मर जाता हैं।
— महात्मा गांधी

समितियों के माध्यम से लगायी जायेंगी मसाला प्रसंस्करण इकाई

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा है कि प्रदेश के मसाला उत्पादक जिलों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे मसाला फसले उगाने वाले कृषकों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि योजना में मसालों का उपार्जन, ग्रेडिंग तथा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मसाला उपार्जन, ग्रेडिंग तथा प्रसंस्करण के लिए संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है। इफको किसान संचार ने तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पशुपालक/दुग्ध उत्पादक क्रेडिट कार्ड धारकों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की थी। इसके पालन में मत्स्य पालकों को मत्स्य विभाग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया है। वहीं दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन विभाग द्वारा क्रेडिट कार्ड पर शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर स्वीकृति की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज उत्पादों से संबंधित समस्त बिन्दुओं यथा उत्पादन उपार्जन विपणन इत्यादि पर ग्राम सभाओं का प्रथम अधिकार की वर्तमान नीति का समग्र रूप से परीक्षण कर आवश्यक सुझाव देने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास होंगे। प्रमुख सचिव वन समन्वयक और प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ समिति के सदस्य होंगे।

कृषि कानून किसानों के हित के कानून है- मंत्री श्री दत्तीगांव

मंत्री श्री दत्तीगांव धार जिले के बदनावर से कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल। केंद्र व राज्य सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम किया है। सरकार ने किसानो की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। कृषि कानून किसानों के हित के कानून है। किसानो को डरने की जरूरत नही है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने यह बात धार जिले के बदनावर में कृषि उपज मंडी में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत हितलाभ वितरण कार्यक्रम में कही।

मंत्री श्री दत्तीगांव ने कहा कि फसल क्षति की राहत राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं वे पूरी तरह से किसानों के हित में है। इस बारे में किसान तनिक भी भ्रमित नहीं हो। ये कानून किसानों के हित में ही लागू किए गए हैं। नवीन कृषि कानून में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है, जो किसानों के हितों के विरूद्ध हो। केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेकर उन्हें लागू कर रही है। पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें वर्ष में तीन किश्तों में दो–दो हजार रुपये कुल 6 हजार रुपये की हितलाभ राशि प्राप्त होती थी। अब उसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कुल चार हजार रुपये की राशि डाली जा रही है। इस प्रकार कुल 10 हजार रुपये की राशि का लाभ किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र एवं राज्य शासन की ओर से दिया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत कन्यापूजन कर की गई। मंत्री श्री दत्तीगांव ने कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी सुना गया। इस योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र बदनावर के 39 हजार से अधिक पात्र किसानों को लाभ मिला है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्री संजय मुकाती भी उपस्थित थे ।

कार्यक्रम के प्रारंभ में एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने स्वागत भाषण दिया व योजना के बारे में विस्तृत से अवगत कराया। कार्यक्रम के बाद मंत्री श्री दत्तीगांव बदनावर विकासखंड के ग्राम करणपुरा, तिलगारा, इमलीपाडा आदि गांवो का भी भ्रमण किया।

लोक सेवा गारंटी में अब तक 532 सेवाएँ अधिसूचित

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि सुशासन व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में विगत 6 माह में 14 विभिन्न विभागों की 77 नवीन सेवाओं को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम–2010 अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 532 सेवाएँ लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित की जा चुकी हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 426 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने की सेवा प्रारंभ की गई है। साथ ही लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि आधार एवं आयुष्मान भारत कार्ड सेवाओं के लिये सभी लोक सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि नागरिक सेवाओं के लिये एम.पी. लोक सेवा एवं सी.एम. हेल्पलाइन के लिये व्हाट्सअप चेटबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में लगभग 43 हजार से अधिक किसानों ने शिरकत की

मुगलिया छाप में प्रोटोम स्पीकर श्री शर्मा और बैरसिया में विधायक श्री खत्री हुए सम्मलित

भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सम्माननिधि वितरण कार्यक्रम का जिले की समस्त जनपद और ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण हुआ। फंदा विकासखंड के मुगलिया छाप ग्राम पंचायत में प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा और बैरसिया जनपद पंचायत में विधायक श्री विष्णु खत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की।

कार्यक्रम को जिला भोपाल की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किसानों के द्वारा देखा गया जनपद पंचायत फंदा की 78 ग्राम पंचायतों में 16000 किसान द्वारा अपनी–अपनी पंचायत में लाइव प्रसारण देखा गया। जनपद पंचायत फंदा विकासखंड स्तर का कार्यक्रम ग्राम पंचायत मुगलिया छाप में हुआ जिसमें मुख्य अतिथि प्रोटेम स्पीकर विधानसभा श्री रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में लगभग 2500 किसानों ने भाग लिया।

जनपद पंचायत बैरसिया की 110

ग्राम पंचायतों में 23100 किसानों द्वारा सजीव कार्यक्रम देखा गया। जनपद पंचायत बैरसिया मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्री खत्री ने की यहां लगभग 2700 किसानों ने भाग लिया। कुल मिलाकर भोपाल जिले की 187 ग्राम पंचायतो में 44300 किसानों ने भाग लिया।

विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमेशा खड़ी हुई है। कार्यक्रम के आरंभ में श्री शर्मा ने बेटियों का पूजन किया। इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई को याद करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत श्री अटल बिहारी बाजपेई द्वारा ही की गई। प्रोटेम स्पीकर श्री शर्मा ने कहा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है किसानों को हर हाल में फसल बीमा की राशि दी जा रही है। किसानों का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं इसलिए किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है। बैरसिया विधायक श्री खत्री ने भी अपने सम्बोधन में सभी तीन कानून को किसानों के लिए हितकारी बताया।

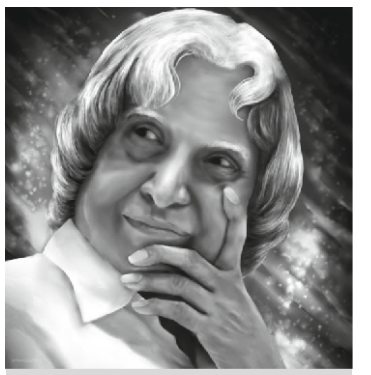

आपके जीवन में जो दुःख या कष्ट आयेंगे, वो सब आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत और साहस को जगाने के लिए आते है जिससे आपको अपने बुरे वक्त से लड़ने की ताकत प्राप्त होगी।

– अब्दुल कलाम

मंत्री डॉ. मिश्र ने संबल योजना में एक करोड़ 38 लाख रूपये किये वितरित

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि समारोह में संबल योजनान्तर्गत 58 हितग्राहियों को एक करोड़ 38 लाख रूपये की राशि के चेक प्रदान किये। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार गाँव, गरीब और किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये सभी संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के समग्र एवं समन्वित विकास से ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।

तीनो कृषि कानून किसानों के हित में है

भोपाल। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की बारीकियों को कसौटी पर कसकर एक एक बिंदु को किसानों को समझाया है और यह स्पष्ट हैं कि ये कानून किसानों के भले के लिए ही है। मंत्री श्री सखलेचा ने शुक्रवार को नीमच जिले के विकासखण्ड मुख्यालय जावद के मण्डी प्रांगण में सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में किसानों को केन्द्र व राज्य शासन द्वारा कृषि एवं किसान भाईयों के विकास के लिए क्रियान्वित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा, कि किसानों का हित शासन की सर्वोच्य प्राथमिकता है। कृषि बिल किसानों के हित में है। इससे किसानों को कृषि उपज के विक्रय के विकल्प एवं आर्थिक निर्यात शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होने कृषि अधिनियमों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, कि कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकार पूर्व की तरह ही रहेगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह में किसान हुए हर्षित सुशासन सप्ताह में घर-घर जाकर देंगे हितलाभ - मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती, सुशासन दिवस पर हरदा जिले में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 31 दिसम्बर तक हरदा जिले में प्रशासनिक अमला घर–घर जाकर विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करेगा। श्री पटेल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को शुभकामनाएँ दी।

मंत्री श्री पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों को सम्माननिधि की एक किश्त और जारी की है। प्रदेश सरकार भी किसानों को सम्मान निधि के रूप में अतिरिक्त 4 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान कर रही है। मंत्री

श्री पटेल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिये नये कानून लाये गये हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा–पूरा लाभ मिल सकेगा। किसानों को मंडियों में गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और दवाईयाँ उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सत्कार के लिये मंडियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये कृत–संकल्पित है।

सुशासन सप्ताह में हितग्राही होंगे लाभान्वित

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सुशासन सप्ताह में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक संबंधी प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे। विधवा एवं निराश्रित पेंशन का लाभ मिलेगा। दिव्यांग–जनों को 40 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता होने पर प्रमाण–पत्र मिलेंगे। आयुष्मान योजना के कार्ड दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रशासनिक अमला घर–घर जाकर हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण कर उन्हें लाभान्वित करेगा।

रामभरोस विश्वकर्मा बने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के प्रथम लाभार्थी

मंत्री श्री पटेल ने रामभरोस विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का देश में सबसे पहले लाभान्वित होने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि श्री विश्वकर्मा को उनकी जमीन अधिग्रहित होने के बाद प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अन्तर्गत गाँव के मकान, कुएँ और 2 पेड़ों का मालिकाना हक प्रदान करते हुए लाखों रूपये की राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने ग्राम पिडगाँव के नर्मदा प्रसाद को भी लाभान्वित होने पर बधाई दी।

समारोह की शुरूआत कन्या–पूजन से हुई

मंत्री श्री पटेल ने मध्यप्रदेश शासन के नवीन निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि समारोह के प्रारंभ में कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धा–सुमन अर्पित किये।

सुशासन दिवस पर प्रदेशभर में प्रभावी कार्यक्रमों का आयोजन

सुशासन दिवस पर प्रदेशभर में किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्‌बोधन को देखा और सुना

प्रदेश में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के किसानों के उद्‌बोधन को देखा एवं सुना। प्रदेशभर में कार्यक्रम को देखने के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी।

रायसेन – स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि सुधार बिलों से किसानों को उनकी उपज अपनी इच्छानुसार कही भी बेचने की सुविधा हो गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को खेती के लिये राज्य सरकार द्वारा हरसंभव मदद दी जा रही है। मंत्री डॉ. चौधरी ने साँची में कन्या पूजन कर किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम को जिले के सभी जनपद पंचायतों में लाइव देखा गया। कार्यक्रम के आरंभ में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

शाजापुर – पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 18 हजार करोड़ रूपये की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाजापुर जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में किया गया। जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया का कार्यक्रम गुलाना तहसील में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री इंदरसिंह परमार शामिल हुए। शाजापुर जिले के एक लाख 38 हजार 521 कृषकों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि अंतरित की गई।

दतिया – पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम जिले की सभी ग्राम पंचायतों, विकासखंड मुख्यालयों सहित जिला मुख्यालय पर हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्‌बोधन का सीधा प्रसारण हुआ।

गृह मंत्री डॉ. मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

अशोक नगर – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिये उपहार है। उन्होंने कहा कि नया किसान कानून किसानों के हित में है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके आदर्शों का स्मरण किया। कार्यक्रम को विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मध्यप्रदेश के 78 लाख किसान लाभान्वित हुए है।

पन्ना – जनपद पंचायत अजयगढ के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के साथ सभी वर्ग के कल्याण की योजनाएं संचालित कर रही है। मंत्री श्री सिंह कहा कि गेहूँ खरीदी में मध्यप्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़कर रिकार्ड बनाया है। कार्यक्रम में 4 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 2–2 लाख रूपये स्वीकृति–पत्र दिए गए।

बालाघाट – आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर **नानो** कांवरे किरनापुर विकासखण्ड के ग्राम मौदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यमंत्री श्री कांवरे ने कहा कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामों के पक्की सड़कों से जोड़ने एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना में 4 हजार रूपये की राशि देनी शुरू की है। इस प्रकार प्रत्येक किसान के खाते में एक साल में 10 हजार रूपये की राशि जमा होगी।

उज्जैन – जिले के विभिन्न जनपदों में किसान सम्मेलन आयोजित किये गये। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का उद्धबोधन का सीधा प्रसारण सैकड़ों किसानों द्वारा देखा गया। किसान सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये अनेक योजनाएँ चलाई हैं।

शिवपुरी – किसान सम्मान निधि योजना में आज जिले के पिछोर विकासखण्ड के ग्राम खोड में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शामिल हुईं। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर किसान हितैषी कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड ग्रामीण पथ विक्रेता योजना एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हित–लाभ पत्र वितरित किये। श्रीमती सिंधिया ने गौ–शाला का लोकार्पण भी किया।

गुना – जनपद बमौरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में केन्द्र सरकार ने नये कानून बनाये है। इन कानूनों से किसान कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर सकेंगे।

मंदसौर – पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ में व नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीपसिंह डंग ने सीतामऊ में कन्यापूजन कर किया। जिले में पीएम किसान निधि से 1 लाख 60 हजार किसान लाभान्वित हुये। मंत्री श्री देवड़ा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सहृदयता के कारण हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति के दिलों में राज किया है।

सतना – पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल रामनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को नये कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में कृषि उपज मण्डियां निरंतर कार्य करती रहेंगी। किसानों से पहले की तरह समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी की जाती रहेगी। राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसी परियोजनाओं से गाँव और किसान की तकदीर बदल गयी है।

सागर – जिले के देवरी के कृषि उपज मण्डी प्रांगण में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय पर्यटन एवं राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में किसानों के उत्थान के लिये जो कार्य किये गये है, वे अन्य किसी सरकार में नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि देखने को मिलती है। आज ग्रामीणजन अपने गांव तक पक्की सड़क से होकर जाते हैं।

किसान राहत राशि योजना विश्व की पहली ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक डिसमिल जमीन पर खेती करने वाले कृषकों को भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। यह विचार लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने रहली जनपद कार्यालय परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान राहत राशि वितरण समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिये महत्वाकांक्षी योजना संचालित की है जिसमें एक लाख रूपये का ऋण देकर किसानों को 10 हजार रूपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना में किसानों को बगैर ब्याज के 90 हजार रूपये मूल राशि ही जमा करना पड़ती है। उन्होंने शीघ्र ही रहली में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने की भी घोषणा की।

भिण्ड – नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया ने जनपद पंचायत मेहगांव में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रत्येक किसान को कुल 10 हजार रूपये प्रति वर्ष प्रदान किये जायेंगे। मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देश तथा प्रदेश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से जिले की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कार्यक्रम में किसानों के लिये बनाए गए नवीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों की जानकारी प्रदान की।

अनूपपुर – खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने जैतहरी में सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नये केन्द्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है लेकिन अब नये कानून के अनुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के बाहर व्यापार पर किसानों पर राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा। इस व्यवस्था से कृषि उपज का स्वतंत्र क्रय–विक्रय होने से खरीददार और विक्रेता दोनों को लाभ मिलेगा।

किसान बनेंगे अब उद्यमी

आज देश, प्रदेश और विश्व सभी कोरोना की महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने दृढ़ संकल्प, अच्छी जीवनशैली और पारस्परिक सुख–दुख बांटने के भाव चलते महामारी को परास्त करने में सफल भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब लोगों के सामने रोजी–रोटी का संकट है तब सहकारिता और सहयोग का भाव निरन्तर प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। सबका–साथ, सबका–विकास, सबका–विश्वास, यही तो सहकारिता का दर्शन है।

बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नही है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं।

– दीदी शिवानी

प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व व सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सहकारिता की शक्ति को पहचान कर तेजी से नए क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया है जिसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश** अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग इकाईयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने की योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों को एक प्रतिशत न्यूनतम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों एवं बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। सरकार इन संस्थाओं को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी।

इन उद्योगों की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को होने वाले लाभ का विभाजन कृषकों की हिस्सेदारी के आधार पर किया जाएगा। इस तरह योजना के क्रियान्वयन से किसान अब उद्यमी बन सकेंगे। प्रथमतरू 202 सहकारी संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्टिंग कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना शुरू की गई है। इसे एक वर्ष में 1200 संस्थाओं तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सहकारिता के माध्यम से कृषक ई–मार्केटिंग मंडी तथा समितियां कृषक सुविधा केन्द्र भी संचालित करेंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। इससे 40000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा।

प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में कृषक सुविधा केन्द्र बनाए जाएंगे, जहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभान्वित सभी पात्र हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड जारी करने का अभियान प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों के माध्यम से चलाया है। इस अभियान के तहत 63000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाकर

सहकारिता हमारा जीवन दर्शन है, यह हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। सहकारिता में हमारे सामने अनेक संभावनाएं हैं। हरित क्रांति हो या नीली क्रांति या फिर पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है और इनकी सफलता का यही मुख्य कारण भी है। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अगले 3 वर्ष में प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को और सुदृढ़ बनाएंगे।

335 करोड़ की साख–सीमा स्वीकृत की गई है। अभी तक प्रदेश में 36 हजार से अधिक किसानों को 122 करोड़ का ऋण भी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना को पुनः प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार द्वारा अभी तक लगभग 3 हजार करोड़ का ब्याज अनुदान भी सहकारी बैंकों को दिया जा चुका है। सरकार ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए फसल ऋण माफी में सहकारी बैंकों के नुकसान की भरपाई के लिए 800 करोड़ रूपये प्रदान कर बड़ी सहायता दी। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषक–केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा जिससे समितियों की कार्यप्रणाली और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी हो सकेगी। सहकारिता विभाग में पारदर्शिता व आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थाओं के ऑनलाईन पंजीयन तथा सहकारी न्यायालयों में प्रकरणों के ऑनलाईन निराकरण की व्यवस्था शुरू की गई है।

सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया का कहना है कि सहकारिता हमारा जीवन दर्शन है, यह हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। सहकारिता में हमारे सामने अनेक संभावनाएं हैं। हरित क्रांति हो या नीली क्रांति या फिर पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है और इनकी सफलता का यही मुख्य कारण भी है। उन्होंने आह्वान किया कि आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अगले 3 वर्ष में प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को और सुदृढ़ बनाएंगे।

कड़कनाथ कुक्कुट-पालन योजना के लिये 3 करोड़ रुपये स्वीकृत

300 हितग्राहियों को होगा लाभ

भोपाल। केन्द्र शासन ने कड़कनाथ कुक्कुट–पालन योजना के तहत मध्यप्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों के लिये 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। कड़कनाथ कुक्कुट–पालन के लिये यह राशि इन जिलों की 20 समितियों के 300 सदस्यों को दी जाएगी। प्रत्येक हितग्राही को 28 दिन के निःशुल्क वैक्सीनेटेड 100 चूजे, दवा, दाना, दाना–पानी बर्तन और प्रशिक्षण दिया जायेगा। पालन–पोषण के लिये हितग्राहियों के निवास पर शासन द्वारा शेड भी निर्मित किया जायेगा।

प्रबंध संचालक कुक्कुट विकास निगम श्री एच.बी.एस. भदौरिया ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और पौष्टिक गुणों के कारण कड़कनाथ की माँग तेजी से बढ़ी है। समय का लाभ उठाते हुए हितग्राहियों की आय बढ़ाने के साथ ही माँग की आपूर्ति के लिये केन्द्र शासन की मदद से यह योजना आरंभ की गई है। कड़कनाथ में दूसरे मुर्गों के मुकाबले फेट, कैलोरी और कोलेस्ट्राल कम होता है, लेकिन वजन, प्रोटीन, लिनोलिक एसिड अधिक होने के साथ इन्हें संक्रामक बीमारियाँ भी कम होती हैं। दूसरे मुर्गों की अपेक्षा इनका विक्रय भी अधिक दरों पर होता है। इनका शरीर, पंख, खून, माँस सभी काला होता है।

राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम संबंधित जिलों के उप संचालकों के माध्यम से सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक कुक्कुट–पालक को चूजों की सुरक्षा और उन्हें उचित तापमान उपलब्ध कराने के लिये रेडीमेड शेड प्रदान किये जायेंगे। कड़कनाथ पालन के लिये प्रशिक्षण सहकारिता विभाग द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से कराया जा चुका है। शुरू में चूजे झाबुआ और इंदौर के कुक्कुट प्रक्षेत्र से प्रदाय किये जायेंगे। वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल से 50–50 चूजे हितग्राही को दिये जायेंगे। वैक्सीनेटेड 28 दिन के चूजों का वजन 125 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होगा। कड़कनाथ का विक्रय पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पार्लरों से भी किया जायेगा।

आवंटित राशि में से एक करोड़ 68 लाख 30 हजार रुपये शेड निर्माण पर, एक करोड़ 36 लाख 5 हजार रुपये दाना–पानी बर्तन, तौल मशीन, कम्प्यूटर आदि पर, 2 लाख 20 हजार रुपये समिति सदस्यों के प्रशिक्षण, चूजों (28 दिन के प्रति चूजे की कीमत 75 रुपये), दाना, दवा, वैक्सीन और इन्श्योरेंस पर 85 लाख 5 हजार रुपये, रिटेल आउटलेट स्थापना पर 14 लाख 50 हजार रुपये, मॉनीटरिंग के लिये सॉफ्टवेयर, विश्लेषण आदि के लिये 30 लाख रुपये और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर 13 लाख 30 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे।

अब लोक सेवा केन्द्रों से भी आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड

भोपाल। राज्य लोक सेवा अभिकरण अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं,योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सअप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य–स्तरीय दूरभाष नंबर 0755–2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सअप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सअप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति ,जारी किये गये प्रमाण–पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।

कृषकों को बिक्री के नए और बेहतर विकल्प देंगे नए कृषि कानून - मंत्री श्री भार्गव

भोपाल। कृषकों को नए कृषि कानूनों से बिक्री के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह बात शुक्रवार को सागर में आयोजित किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम में कही। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नये कृषि कानून कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्य कार्यक्रम रायसेन जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसका प्रसारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के किसानों को दिखाया गया। इसी प्रकार वर्चुअल कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों को किसान कानून के लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में कहा कि किसानों के बेहतर विकास के लिए केन्द्र सरकार दृढ़ संकल्पित है।

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संसद में मौजूद प्रतिनिधियों ने कृषि सुधार बिल पास किया। उन्होंने कहा है कि इन नए कृषि बिलों से हमारे देश का किसान न केवल अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, बल्कि इससे किसानों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। किसानों के लिए जो भ्रम जाल फैलाया गया है, वह कतिपय ताकतों का सोचा–समझा षड़यंत्र है। उन्होंने कहा कि देश के साथ–साथ हमारे मुख्यमंत्री भी किसानों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इस कानून से यदि कोई आपत्ति हो तो केन्द्र सरकार टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि कानून मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है और इस बिल का फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की योजनाओं से किसान का बेटा खेती की ओर अग्रसर होगा और खेती अब लाभ का धंधा बनेगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इससे प्रदेश का किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों की बदौलत ही केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नीतियों के कारण किसानों ने पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़कर देश में नाम रोशन किया है।

सांसद श्री राजबहादुर सिंह ने कहा कि अधिकार चाहिए तो तर्क होना चाहिए कुतर्क नहीं। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा अब बिचौलिया नहीं बनेगा। पंजाब में आज जो पैदावार हो रही है उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिक है। कृषि सुधार बिल का पंजाब के कुछ बिचौलियों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। किसान को डराने की कोशिश की जा रही है।

पृष्ठ 01 का शेष ...

किसानों का हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च ....

कृषि करार द्वारा किसान अपने कृषि उत्पाद की कीमत फसल बोने के पूर्व ही करार के माध्यम से तय कर सकेंगे। अनुबंध खेती से किसानों को लाभ होगा। कृषि करार केवल कृषि उपज के संबंध में होगा। इस करार के द्वारा किसी भी निजी एजेंसियों को किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी और न ही कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग अध्यादेश के तहत किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण होगा। किसानों के हितों को पूर्णरूप से सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर निर्भर हैं लेकिन नए अध्यादेश में किसान बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ पाएंगे, जो खेती को लाभदायक बनाएंगे। प्रत्येक राज्य में कृषि उपज खरीद के लिए अलग–अलग कानून हैं। लिहाजा, नए कानून के तहत लागू एक समान केंद्रीय कानून सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा। नए कानून कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निजी निवेश खेती के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा तथा रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित कृषि उत्पाद विक्रय प्रणाली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी (जिसे आढ़तिया यानी बिचौलिया भी शामिल है) को कृषि उत्पाद के संबंध में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन नया विधेयक किसी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। इससे बिचौलियों का चक्रव्यूह टूट जाएगा, जो पूरे भारत में एक अहम् मुद्‌दा है तथा किसान उनके शोषण का शिकार हो रहा है। नए कृषि कानून से किसान सीधे व्यापारी से अपनी कृषि उपज का मूल्य तय कर सकेगा। नया कानून बाजार की अनिश्चितिता के जोखिम को किसान के लिए कम करेगा क्योंकि किसान अपने उत्पाद की कीमत कृषि करार के माध्यम से पहले से ही तय कर सकेगा।

कार्यक्रम में कृषक भाईयों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्‌बोधन का देखा एवं सुना।

पृष्ठ 01 का शेष ...

अटल जी ने सुशासन को जीवन का हिस्सा....

सरकार किसानों को गांव के पास ही भंडारण सुविधा उपलब्ध कराएगी तथा कोल्ड स्टोर चैन का विस्तार किया जाएगा।

अब कोई किसान को ठग नहीं सकता

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि अनुबंध कानून के अंतर्गत अब व्यापारी/अनुबंधकर्ता किसान को फसल का तय मूल्य देने के लिए कानूनन बाध्य है। अब कोई किसान को ठग नहीं सकता। अनुबंध करने पर अनुबंधकर्ता किसान को गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने में सहायता भी करेगा। किसान की फसल बर्बाद होने पर भी अनुबंधकर्ता को फसल का निर्धारित मूल्य देना ही होगा। किसान जब चाहे अनुबंध समाप्त कर सकता है, परन्तु व्यापारी नहीं।

किसानों से हर मुद्‌दे पर चर्चा के लिए तैयार

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हम किसान कानूनों को हर कसौटी पर कसने को तैयार हैं। हम किसानों के विश्वास पर बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। हम किसानों से हर मुद्‌दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि कानून हर हालत में किसानों के लिए लाभदायी होंगे।

अब किसी से ज्यादा ब्याज पर पैसे न लें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न शासकीय योजनाओं के किसान हितग्राहियों से संवाद के दौरान कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से सरकार कम ब्याज दर पर ऋण दिलवाती है, अब वे किसी से ज्यादा ब्याज पर ऋण न लें। किसानों ने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, समर्थन मूल्य खरीदी, फसल बीमा योजना सिंचाई योजनाओं आदि का लाभ मिला है।

नए कृषि कानून से मिला लाभ

प्रधानमंत्री श्री मोदी को धार मध्यप्रदेश के किसान श्री मनोज पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हो रहा है। अब वे अपनी फसलें मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने आई.टी.सी. कंपनी को सोयाबीन 4100 रूपए क्विंटल पर बेचकर लाभ प्राप्त किया।

अटल जी की स्मृति में ग्वालियर में विशाल स्मारक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने उद्‌बोधन की शुरूआत स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में श्रद्‌धापूर्वक नमन करते हुए की। उन्होंने घोषणा की कि ग्वालियर में स्व. अटल जी की याद में विशाल स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन–दर्शन को रेखांकित किया जाएगा।

फसल खरीदी अनुबंध के लिए बना रहे हैं सरल प्रोफार्मा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायक हैं। अब किसान मंडी में अथवा मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसलें बेच सकता है। प्रदेश में मंडी शुल्क को घटाकर 50 पैसा कर दिया गया है। किसानों से फसल खरीदी अनुबंध के लिए मध्यप्रदेश सरकार एक सरल प्रोफार्मा बना रही है, जिससे किसानों को अनुबंध में आसानी हो तथा कोई भी किसानों के साथ गड़बड़ी न कर सके।

कृषि कानूनों को समझने विकासखंडों में लगेंगे प्रशिक्षण शिविर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान कानूनों के संबंध में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी विकासखंडों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों की सभी भ्रांतियां दूर की जाएंगी।

किसानों के खातों में 82422 करोड़ की राशि पहुंचाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस सरकार ने विभिन्न योजनाओं और समर्थन मूल्य खरीदी की अभी तक 82422 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की है। किसानों को फसल बीमा के 8 हजार 646 करोड़ रूपए दिलवाए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि की केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वाली 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष राशि के अलावा राज्य सरकार 4–4 हजार रूपए राशि और दे रही है।

किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल एप

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को सेवाओं के प्रदाय के लिए मोबाइल एप बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से फसल बुवानी, नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन आदि की सुविधा प्राप्त होगी। अब ज़रीब युग समाप्त हो गया है, एक उपकरण के माध्यम से सीधे सीमांकन हो जाएगा। गैर विवादित नामांतरण के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर कार्य हो जाएगा। पटवारी सोमवार और गुरूवार को आवश्यक रूप से पटवारी हल्के पर उपस्थित रहेंगे।

मोबाइल पर मिल जाएंगे जाति, आय आदि प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि आज से सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के साथ ही सेवाओं के प्रदाय का भी काम करेगी। सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 डायल करके अपना आधार नंबर बताने पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि सुविधएं मिलेंगी।

गरीबों और किसानों को समर्पित है सरकार

सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों को समर्पित है। आज गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री एवं प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वे गरीब का दर्द जानते हैं। वे निरंतर गरीबों का जीवन–स्तर उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है।

आज पूरी राशि जनता के खातों में पहुंचती है

श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि पहले केन्द्र से एक रूपए चलता था तो जनता के खाते में बहुत कम राशि पहुंचती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन की कल्पना को साकार करते हुए देश में सुशासन दिया है। गरीबों के जन–धन खाते खुलवाए गए। आज योजनाओं की पूरी राशि गरीबों के खातों में आती है।

शहरी गरीबों के लिये रोजगारमूलक और जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें - मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी गरीबों के लिये रोजगारमूलक योजनाओं, जनकल्याण और आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समय–सीमा में किया जाये। नगरीय निकाय स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दें। नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुविधायें सहजता–सरलता से लोगों कोमिले। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभाग की कार्ययोजना को समय–सीमा में अमल में लाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी मिले। इस योजना को व्यापक स्वरूप में लागू किया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी. एस. भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नितेश व्यास तथा प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। इस योजना में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिले, ऐसा प्रयास करें।

प्रमुख सचिव नगरीय निकास ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में विभाग ने 33 बिन्दु तथा पाँच रणनीतियां बनायी है। पहली रणनीति समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत पांच लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिये ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे दिसम्बर 2023 तक हासिल किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में एक लाख 80 हजार पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। शीघ्र ही एक लाख पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को हासिल किया जायेगा।

दीनदयाल रसोई योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना को पुनरू बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाये। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। प्रथम चरण में सभी जिलों में एक–एक इस प्रकार 52 दीनदयाल रसोइयां जनवरी माह में शुरू की जायें। इसके लिये शासकीय मदद के साथ जनसमुदाय का सहयोग लिया जाये। द्वितीय चरण में 40 दीनदयाल रसोईयाँ शुरू की जायें। इस प्रकार कुल 100 दीनदयाल रसोईयाँ संचालित करने का लक्ष्य रखा जाये।

रात्रिकालीन आश्रय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रात्रिकालीन आश्रयों का नवीनीकरण किया जाये। वहां जरूरी सुविधायें मुहैया कराकर साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। बताया गया कि पुराने 118 रात्रिकालीन आश्रयों का नवीनीकरण किया जायेगा।

रोजगारमूलक योजनाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अतः रोजगारमूलक योजनाओं में प्रशिक्षण के साथ रोजगार स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये। बैठक में बताया गया कि डे–एन.यू.एल.एम. योजना का प्रदेश के सभी 378 शहरों में विस्तार किया गया है। एक लाख 50 हजार गरीब परिवारों को स्व–सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक 21 हजार 750 परिवारों को जोड़ा जा चुका है।

इन्क्यूबेशन सेन्टर

बताया गया कि प्रदेश के सात शहरों में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेन्टर का विकास किया जा रहा है। एक लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास का कार्यक्रम निर्धारित है। भोपाल और जबलपुर में ये सेन्टर स्थापित हो गए हैं। इंदौर में मार्च तक सेन्टर की स्थापना हो जायेगी। मार्च 2021 तक 30 हजार युवाओं के कौशल विकास की योजना है।

शहरी गरीबों के लिये आवास

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत 378 शहरों में कम आय वर्ग के लोगों केलिये तीन लाख आवासीय इकाईयों के प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्तमान में 28 हजार इकाइयां पूर्ण हो गयी हैं।

कम आय के 30 हजार हितग्राहियों के लिये रोजगार

कम आय वर्ग के 30 हजार हितग्राहियों को 6 लाख रूपये ऋण 3–4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिये विकास

49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये शहर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इसी तरह सैनिटेशन में सभी 378 शहरों में से 350 शहरों ने ओडीएफ प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है। इंदौर शहर के लिये वाटर प्लस स्टेटस को हासिल करने का मिशन बनाया गया है।

ई–व्हिकल चार्जिंग स्टेशन

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी भागीदारी से ई–व्हिकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन के लिये चरणबद्ध ई–बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।

नगरीय सुशासन के लिये कानूनी सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुशासन के लिये अधिनियमों–नियमों, कानूनों में आवश्यक सुधार किया जाये। इस कार्य को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाये। बताया गया कि नगरीय निकायों के राजस्व में स्वयं के स्त्रोतों से 43 प्रतिशत तक राजस्व मिलता है। इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भवन निर्माण की अनुमति मिलने में लोगों को दिक्कतें होती है। ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बनायी जाये कि नियमों का पालन करते हुये नागरिकों को सरलता से शीघ्र भवन निर्माण की अनुमति मिले।

बैठक में सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने, स्वीकृतियाँ देने आदि की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में निर्देश दिये कि इस कार्य में मध्यप्रदेश को देश में नम्बर एक स्थान मिले। नगरीय निकायों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्ररित किया जाये। नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता मिशन पर कार्य के मूल्यांकन के लिये हर तीन माह में रैंकिंग तय की जायेगी।

जल प्रदाय योजनायें

सभी 378 नगरीय निकायों के लिये 365 जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जाकर 234 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। सीवरेज योजनाओं के अंतर्गत 49 निकायों में 52 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 468 प्रोजेक्ट्स में ये 216 परियोजना पूर्ण कर ली गयी हैं। 2512 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में देश में मध्यप्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सख्त निर्देश दिये जिन शहरों में इस मिशन में अच्छा कार्य नहीं हुआ है वहां के अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे आवास जिनकी किस्त अभी मिलना शेष है। उनके लिये केन्द्र सरकार स्तर पर प्रयास कर किश्त राशि शीघ्र प्राप्त की जाये तथा प्रगतिरत सभी आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। बताया गया कि बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत प्रदेश में पांच लाख 82 हजार 625 आवास स्वीकृत हैं जिनमें से 2 लाख 4 हजार 493 आवास पूर्ण हो गये हैं। ए.एच.पी. घटक, सी.एल.एस.एम. घटक को सम्मिलित कर प्रदेश में 7 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवास (शहरी) स्वीकृत हैं।

बैठक में मास्टर प्लान, राजस्व वसूली आदि बिन्दुओं पर समीक्षा भी हुई।

अधूरे ई.डब्ल्यू.एस. आवास पूर्ण करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए गए अधूरे ई.डब्ल्यू. एस. आवास पूर्ण किए जाएं। इनकी कीमत प्रति इकाई 7.5 लाख रूपए है। मलिन बस्ती में इसके हितग्राही को मात्र 02 लाख रूपए देने हैं।

एक रास्ता खोजो। उस पर विचार करो। उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो। उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है।

– स्वामी विवेकानंद

व्यवहारिक हो कृषि की योजनाएँ

कृषि अधोसंरचना योजना (ए.आई.एफ.) में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को 'एजुकेट' किया जाए, कि वर्तमान रबी तथा खरीफ में कौन सी फसल तथा कितनी मात्रा में लगाई जाए जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके तथा बेहतर मूल्य प्राप्त हो। इसके लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में रबी व खरीफ फसलों की बुआई के पहले इन फसलों की सूची प्रदर्शित की जाए। इस संबंध में प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएँ सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो, जिनका लाभ किसानों को मिल सके। ऐसी योजनाएँ बनाने का क्या लाभ जो किसानों के खेतों तक पहुँच ही न पाएं। अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।

निरंतर करें फसलों की निगरानी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विभाग फसलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करे, जिससे एकदम बीमारी लगकर फसलें समाप्त न हो जाएं, जैसा इस बार सोयाबीन में हुआ।

प्रमाणित बीजों के पैकेट्स पर हॉलोग्राम अनिवार्य

किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज सुनिश्चित कराने के लिए प्रमाणित बीजों के पैकेटस पर हॉलोग्राम अनिवार्य रहेगा। अगले खरीफ से यह प्रावधान लागू होगा।

गांवों के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम बनाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए गांवों के लिऐ समग्र कृषि विकास कार्यक्रम बनाए जाएं।

शोध का लाभ खेत तक मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि लैब टू लैंड कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों ने शोध कर योजना तैयार कर ली है। यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शोध का लाभ किसान के खेत तक पहुंचना चाहिए।

प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को हाइटैक बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को आधुनिक हाइटैक बनाया जा रहा है। इनमें गोदाम, भंडारण, मूल्य संवर्धन, शीत भंडारण और एग्री क्लीनिक आदि सुविधाएं होंगी। ग्रेडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी।

मिशन मोड पर करें एफ.पी.ओ. का कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक एफ.पी.ओ. (किसान उत्पादक समूह) बनाए जाएं तथा वर्तमान एफ.पी.ओ. को अधिक सक्रिय किया जाए। इससे किसान अपनी फसल सीधे बाजार में बेच पाएगा तथा बिचौलिए कम होंगे। वर्तमान में प्रदेश में 394 एफ.पी.ओ. सक्रिय है। एफ.पी.ओ. में न्यूनतम 03 व्यक्ति हो सकते हैं।

हर वर्ष 30 प्रतिशत बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छी फसलों के लिए प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए। किसानों को उन्नत बीज मिलना चाहिए। प्रदेश में बीज उत्पादक सहकारी समितियों को और सक्रिय किया जाए।

2 जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्र

वर्तमान में प्रदेश के 50 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। शेष 02 जिलों विदिशा एवं निवाड़ी में नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएंगे।

प्रदेश की प्रमुख फसलों की जी.आई. टैगिंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की प्रमुख फसलों शरबती गेहूँ, लाल ग्राम पिपरिया तूअर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल तथा चिन्नौर धान की जी. आई. टैगिंग कराई जाए। बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग कराई जा रही है।

केन्द्र सरकार की कृषि अधोसंरचना (AIF) योजना में मध्यप्रदेश अव्वल

कृषि अधोसंरचना विकास के लिए ऋण प्रदाय किए जाने की केन्द्र सरकार की कृषि अधोसंरचना (AIF) योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश से 231 करोड़ रूपए के कुल 222 प्रकरण सत्यापित किए गए हैं। इनमें से 23 प्रकरणों में 21 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तथा 98 करोड़ के 87 प्रकरण बैंकों के पास ऋण वितरण के लिए लंबित हैं। शेष में कार्यवाही जारी है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रकरण वेयर हाउस के लिए 152 करोड़ के तथा इसके बाद कोल्ड स्टोरेज के लिए 26 करोड़ के, सौर्टिंग एवं ग्रेडिंग के लिए 2.2 करोड़ के तथा लॉजिस्टिक के लिए 2.02 करोड़ रूपए के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदेश के कुल 29 जिलों से प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें सर्वाधिक प्रकरण रायसेन से 38, भोपाल से 26, सीहोर से 15 तथा इंदौर से 14 प्रस्तुत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी लायी जाये- मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र की योजना और गतिविधियों में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को तय समय–सीमा मे प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना अंतर्गत कृषि अधोसंरचना निधि से सहकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष 251 संस्थाओं को लाभ दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा में बताया गया कि अभी तक 160 संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। नेबकान्स द्वारा 14 करोड़ 40 लाख रुपये की डीपीआर भी प्रस्तुत की गई हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत चयनित पैक्स संस्थाओं में कृषकों के लिये ऋण, विपणन एवं अन्य सेवाओं के लिये कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि समितियों द्वारा कृषकों को फसल ऋण, कृषि आदान, कृषि उपज विपणन, उपार्जन, फसल बीमा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएँ दी जा रही हैं। चयनित पैक्स में ई–मण्डी एवं कृषक सूचना–केन्द्र की स्थापना भी किये जाने की योजना है।

धान उपार्जन कॉल सेंटर से किसानों ने शेयर किए अपने अनुभव

भोपाल। धान उपार्जन में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जायेगी। किसानों की समस्याओं के लिए स्थापित कॉल सेंटर से अपनी उपज बेचने आए और उपज बेचकर लौटे किसानों ने अपने अनुभव साझा किये।

संचालक खाद्य श्री तरूण पिथौड़े ने बताया कि कॉल सेंटर से उपार्जन केन्द्र देशपुरा भिण्ड, अलीराजपुर, विदिशा एवं रायसेन के लगभग दस किसानों से चर्चा की गई। किसानों ने बताया कि केन्द्र से उन्हें समय पर एसएमएस प्राप्त होने से तुलाई आदि में कोई कठिनाई नहीं हुई। केन्द्र पर हम्मालों एवं बारदानों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता होने से समय की काफी बचत हुई। पिछले साल की तुलना में अच्छी व्यवस्थाएं थीं। अधिकारियों की समय–समय पर उपस्थिति से स्टाफ की सक्रियता भी निरंतर बनी रही।

उन्होंने बताया कि एक दिन में लगभग 415 क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन किया गया। धान बेचने वाले किसानों में भिण्ड के सर्वश्री सोमेन्द्र सिंह, राजेश सिंह, राम बहादुर, जबर सिंह, संजय सिंह अलीराजपुर के श्री गोविंद मण्डलोई, विदिशा के श्री प्रमोद प्रजापति और रायसेन के श्री भैयालाल, श्री राजेश कुमार एवं श्री महेश कुमार भार्गव शामिल हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।